नगर पंचायत चौपाल, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवम् निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि 4/2010 से 3/2013

भाग–एक

1 **(क) प्रारम्भिकः–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255 (1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1–376/81–फिन(एल0ए0) –खण्ड–IV दिनांक 18.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर पंचायत चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर पंचायत में कार्यरत्त सचिव व आहरण एवं वितरण अधिकारी निम्नानुसार थेः–

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	अवधि	विवरण
1	श्री धर्म सिंह कायथ	01.4.2010 से 03.4.2012	नायब तहसीलदार
2	श्री मान सिंह चौहान	06.4.2012 से 31.3.2013	नायब तहसीलदार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

क्रम संख्या	विवरण	पैरा संख्या	राशि (लाखों में)
(1)	वित्तीय स्थिति एवं रोकड़ वही के शेषों में अन्तर	4(क)	8.74
(2)	वित्तीय स्थिति एवं बैंक में जमा राशियों में अन्तर	4 (च)	5.99
(3)	वित्तीय कुप्रबन्धन के कारण अतिरिक्त ब्याज की आय के रूप में हानि	7	6.00
(4)	दिनांक 31.3.2013 को गृहकर बकाया राशि वसूली हेतु शेष	8	24.90
(5)	गृहकर में निर्धारित दर से संशोधन न करने	9	4.95

	के कारण वित्तीय हानि		
(6)	दुकानों/स्टालों किराये की वसूली हेतु राशि	10	15.66
(7)	रिक्त दुकानों को पुनः किराये पर आबंटित न करने के कारण वित्तीय हानि	11	3.32
(8)	बिजली उप–कर बकाया राशि वसूली हेतु शेष	14	0.99
(9)	वाहन खरीद पर अपव्यय	15 (क)	6.64
(10)	वेतन व भत्तों का कर्मचारियों को अधिक भुगतान	15	1.16
(11)	गणना में गलती के कारण अनियमित/अनुचित अधिक भुगतान	18	0.79

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण के परिशिष्ट "क" पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः नगर पंचायत द्वारा इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्यवाही करनी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से यथा समय इस विभाग को अवगत करें ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :–

नगर पंचायत चौपाल, जिला शिमला के अवधि 04/2010 से 03/2013 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण सर्व श्री चम्बेल सिंह परमार, अनुभाग अधिकारी तथा मनजीत भाटिया, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 19.8.201 से 6.9.2013 के दौरान चौपाल में किया गया। लेखों की विस्तृत जॉच पड़ताल हेतु मास 12/2010, 2/2012 व 9/2012 आय पक्ष के लिए तथा मास 2/2011, 10/2011 व 10/2012 व्यय पक्ष के लिए चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन नगर पंचायत चौपाल द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, पंचायत द्वारा प्रदान की गई

किसी गलत सूचना अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने पर पाई गई अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

3 <u>अंकेक्षण शुल्क</u> :—

नगर पंचायत चौपाल, जिला शिमला के अवधि 04/2010 से 03/2013 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क की राशि ₹18000/— बनती है। अनुभाग अधिकारी की अधियाचना संख्या 158 दिनांक 4.9.13 के द्वारा उपरोक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला—9 को शीघ्र भेजने हेतु अनुरोध किया गया है।

4 <u>वित्तीय स्थिति</u> :—

नगर पंचायत चौपाल की अवधि 4/10 से 3/10 तक की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है।

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्तियॉ	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2010—11					
स्वयं संसाधन	703772	478141	1181913	65700	1116213
अनुदान	3706206	3261904	6968110	3345583	3622257
	4409978	3740045	8150023	3411283	4738740
2011—12					
स्वयं संसाधन	1116213	412384	1528597	31276	1497321
अनुदान	3622257	3088148	6710675	3406416	3304259
	4738740	3500532	8239272	3437692	4801580
2012—13					
स्वयं संसाधन	1497321	525582	2022903	33945	1988958
अनुदान	3304259	3101113	6405372	2888464	3516908
	4801580	3626695	8428275	2922409	5505866
(ख)	रोकड़ वही के अनुसार दिनांक 31.3.2013 को दर्शाया गया अन्तशेष				4632183
(ग)	वित्तीय स्थिति रोकड़ वही के शेष में अन्तर (₹5505866(—) ₹4632183)				873683

(घ) अन्तर का विवरण निम्न प्रकार से पाया गयाः–

दिनांक	विवरण	राशि
7.9.2010	रोकड़ वही में आय ₹668550 के स्थान पर ₹668510 दर्शाई गई	(+) 40
7.9.2010	आय 285946 के स्थान पर 281964 ली गई	(+) 4000
माह 9/2010	प्रारम्भिक शेष 4698110 के स्थान पर 4098110 लिया गया	(+)600000
30.10.10	आय 7361 के स्थान पर 7343 ली गई	(+)18
22.11.10	आय 19795 के स्थान पर 17695 ली गई	(+)2100
3.12.10	आय 55193 के स्थान पर 55103 ली गई	(+)90
31.3.11	आय 19975 के स्थान पर 18762 ली गई	(+)1213
17.3.13	आय 1094519 के स्थान पर 804380 ली गई	(+)290139
माह 3/2011	रोकड़ वही पृष्ठ 14 पर रोकड़ वही का जोड़ 3841140 के स्थान पर 3859902 लिया गया	(–) 18762
11.7.11	ग्रांट की प्राप्ति 413550 के स्थान पर 413355 दर्शाई गई	(+) 195
3.11.11	रोकड़ वही जोड़ 2160891 के स्थान पर 2162117 लिया गया	(–) 1226
23.11.12	आय 907731 के स्थान पर 907631 ली गई	(+) 100
1.1.12	प्रारम्भिक शेष 4050868 के स्थान पर 4050818 लिया गया	(+) 50
3.1.12	आय 56056 के स्थान पर 58700 ली गई	(–)2644
17.3.12	व्यय 106922 के स्थान पर 95922 लिया गया	(–) 11000
24.3.12	आय 46973 के स्थान पर 35973 ली गई	(+) 11000
11.12.12	रोकड़ वही का शेष 4492045 के स्थान पर 4493585 दर्शाया गया	(–)1540
12.8.11	आय 10710 के स्थान पर 10800 ली गई	(–) 90
	कुल अन्तर का योग	**873683**

रोकड़ वही के शेष तथा वित्तीय स्थिति में ₹87383.00 के अन्तर के कारणः–

नगर पंचायत की वित्तीय स्थिति तथा रोकड़ वही के शेष में दर्शाया गया अन्तर ₹873683.00 आपत्तिजनक है। रोकड़ वही की जांच करने पर पाया गया कि रोकड़ वही के शेष उचित प्रकार से नहीं निकाले जा रहे थे। रोकड़ वही के शेषों में अनेक त्रुटियॉं पाई गई। रोकड़ वही को किसी अधिकारी द्वारा माह के अन्त में सत्यापित नहीं किया गया था

जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा भविष्य में माह के अन्त में रोकड़ वही में जमा राशियों के बैंक खातों में जमा व हस्तगत शेष को सत्यापित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(ङ) विभिन्न बैंक खातों में 31.3.2013 को जमा राशिः–

क्र0सं0	**बैंक नाम/खाता सं0**	**जमा राशि (₹) में**
(i)	यूको बैंक खाता संख्या 8060	139200
(ii)	यूको बैंक खाता संख्या 8360	3362450
(iii)	यूको बैंक खाता संख्या 3793	482422
(iv)	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक खाता संख्या 7240	490213
(v)	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक खाता संख्या 6771	53809
(vi)	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक खाता संख्या 7296	44476
(vii)	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक खाता संख्या 9711	64908
(viii)	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक खाता संख्या 9712	76524
(xi)	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक खाता संख्या 5738	192484
(x)	(पी0एल0ए0) 8448	106
	बैंक में जमा कुल राशि	**4906592**

(च) वित्तीय स्थिति तथा बैंक खातों में जमा राशि में ₹599274/– अन्तरः–

वित्तीय स्थिति तथा बैंक में जमा राशि में ₹599274.00 (₹5505866–490652) का अन्तर पाया गया यह राशि बैंक में कम जमा पाई गई जो आपत्तिजनक है। रोकड़ वही का रख रखाव नियमानुसार उचित प्रकार से नहीं किया जा रहा है रोकड़ वही में की गई प्रविष्टि सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं की जा रही है। इसके अतिरिक्त रोकड़ वही में जमा राशि का बैंक के साथ मिलान नहीं किया गया था। पूर्व लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में भी रोकड़ वही व बैंक में जमा राशियों में अन्तर पाये गये थे। उनके मिलान हेतु भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। रोकड़ वही को उचित प्रकार से लेखांकित न करना, बैंक जमा के साथ रोकड़ वही का मिलान न किया जाना गम्भीर अनियमितता है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये। उपरोक्त वर्णित अन्तर ₹599274.00 की अपने स्तर पर छानबीन करके अन्तर बारे स्थिति स्पष्ट करते हुये कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

5 सावधि निवेशः–

दिनांक 31.3.2013 को ₹613244/– की राशि सावधि जमा योजना के अन्तर्गत निवेशित थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

निवेश की तिथि	खाता सं0	बैंक का नाम	निवेशित राशि ₹ में	परिपक्वता तिथि	ब्याज दर	परिपक्वता राशि (₹)
21.3.2009	40530300079	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक	631244	21.3.2013	8.25%	850144

उपरोक्त सावधि जमा में निवेश की गई राशि को परिपक्वता तिथि को बैंक से नहीं भुनाया गया था। न ही पुनः निवेश किया गया था। लेखा परीक्षा के दौरान आपत्ति उठाये जाने पर नगर पंचायत द्वारा तुरन्त कार्रवाई करते हुये इस राशि को ब्याज सहित ₹884050.00 को दिनांक 23.8.2013 को सावधि जमा में पुनः निवेश कर दिया है। साविध जमा की राशि को वास्तविक परिपक्वता तिथि भुनाने/पुनः निवेश न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये।

6 सरकारी अनुदान :–

नगर पंचायत द्वारा अवधि 1.4.2010 से 31.3.2013 के दौरान प्राप्त अनुदानों व इस अवधि में किये गये व्यय, दिनांक 31.3.2013 को पाये गये अन्तशेष तथा पूर्व की अनुपयुक्त अनुदान की राशियों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट "ख–1 से ख–5" पर दिया गया है। जॉच करने पर पाया गया कि वर्ष 2010–11 से पूर्व अवधि के अनुदानों की शेष राशि ₹3706206.0 पूर्ण व्यय की गई। इसके अतिरिक्त अंकेक्षणाधीन अवधि में विभिन्न स्त्रोतो से ₹945165.00 अनुदान के रूप में प्राप्त हुई जिसमें से उपरोक्त पूर्व अवधि के अनुदानों की शेष राशि ₹3706206.00 के अतिरिक्त ₹5934257 व्यय की गई तथा ₹3516908.00 की राशि अनुपयुक्त थी। अतः अनुदान राशियों का सम्बन्धित वर्षों में व्यय न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा शेष राशियों को नियमानुसार अविलम्ब व्यय किये जाने बारे ठोस पग उठाये जाये अन्यथा अनुपयुक्त अनुदान राशियों का प्रत्यर्पण किया जाए।

7 उचित वित्तीय प्रबन्ध न किये जाने के कारण लगभग ₹600000/– की अतिरिक्त ब्याज के आय से वंचित होना:–

नगर पंचायत की वित्तीय स्थिति के आंकड़ों का अवलोकन करने पर पाया गया कि लगभग 40 लाख से 45 लाख तक की राशि बचत खाते में जमा थी यदि उचित वित्तीय प्रबन्ध को ध्यान में रखते हुये। यदि लगभग ₹40 लाख की राशि को सावधि निवेश में निवेशित की गई होती तो ब्याज के रूप में 5 प्रतिशत ब्याज की दर से अतिरिक्त आय ₹200000/– प्रतिवर्ष तीन वर्षों में लगभग ₹600000/– अधिक राशि अर्जित की जा सकती थी। पंचायत को वंचित होना पड़ा। अतः सुझाव दिया जाता है कि बचत खातों में पड़ी अनुपयुक्त राशियों

जिनकी निकट भविष्य में आवश्यकता नहीं है को सावधि जमा में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके।

8 ₹2490217/–गृहकर की बकाया राशि वसूली हेतु शेषः–

दिनांक 31.3.2013 तक गृहकर ₹2490217 वसूली हेतु शेष थी जिसका विस्तृत विवरण निम्न दिया गया है। वर्ष 2010–11 से 2012–13 तक तीन वर्षों में कुल ₹2629884.00 (1887231+742653) की मॉग के विरूद्ध केवल ₹139667.00 की वसूली की गई जोकि 5.31% है इस प्रकार वसूली की दर बहुत निम्न है। निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या यू0एल0बी0 एच (ए) (7)–1/87–9297–9284 दिनांक 25.6.2001 के अनुसार करों की शत प्रतिशत वसूली अपेक्षित थी। गृहकर की वसूली नियमानुसार हेतु ठोस कदम उठाए जाने सुनिश्चित किए जाएं ताकि नगर पंचायत के विकास कार्य प्रभावित न हो। कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान मॉग	कुल	वर्ष के दौरान संग्रह	अन्तशेष
1	2010–11	1887231	246066	2133297	107605	2025692
2	2011–12	2025692	246066	2271758	24602	2247156
3	2012–13	2247156	250521	2497677	7460	2490217
			742653		**139667**	

9 गृहकर में वृद्धि/संशोधन न करने के कारण ₹495102.00 की वित्तीय हानिः–

निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या यू0डी0–एच0(सी) (10) (7) दिनांक 17.11.2013 द्वारा सभी शहरी स्थानीय निकायों को सूचित किया गया कि द्वितीय राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप उनको प्राप्त होने वाली अनुदान राशि में सौ प्रतिशत की बढ़ौतरी हेतु गृहकर की न्यूनतम दर 7.5% में प्रतिवर्ष प्रतिशतता के आधार पर वृद्धि करके वर्ष 2006–07 तक अधिकतम दर 12.5% की जाएगी जिसका विवरण निम्न दिया गया है:–

वर्ष	गृहकर की दर
2002–03	7.5%
2003–04	8.55%

2004–05	10%
2005–06	11.5%
2006–07	12.5%
2007–08	12.5%
2008–09	12.5%
2009–10	12.5%
2010–11	12.5%
2011–12	12.5%
2012–13	12.5%

परन्तु अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि नगर पंचायत चौपाल द्वारा वर्ष 2001 से ही गृहकर की न्यूनतम दर 7.5% को लागू किया गया था। इसके पश्चात कर में नियमानुसार कोई वृद्धि नहीं की गई। परिणामस्वरूप अंकेक्षणाधीन अवधि 4/2010 से 03/2013 तक ₹495102.00 की आर्थिक हानि हुई जिसका विस्तृत विवरण निम्न वर्णित है। अतः सरकार द्वारा दिए गए निर्देशानुसार गृहकर में अपेक्षित वृद्धि लागू न करने बारे वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए। इसके अतिरिक्त गृहकर में गत वर्षो से अपेक्षित नियमानुसार वृद्धि करके इसकी वसूली भी सुनिश्चित की जाए।

क्र0सं0	**वर्ष**	**7.5% की दर से किया गया गृह कर का निर्धारण**	**12.5%की दर से गृहकर का जो निर्धारण किया जाना अपेक्षित था**	**कम निर्धारण**
1	2010–11	246066	410110	164044
2	2011–12	246066	410110	164044
3	2012–13	250521	417535	167014
	कुल	**742653**	**1237755**	**495102**

10 ₹1566572.00 की किराया राशि वसूली हेतु शेषः–

नगर पंचायत चौपाल द्वारा अपनी 35 दुकानें विभिन्न व्यक्तियों को किराए पर आंबटित की गई थी। परन्तु दिनांक 31.3.2013 तक ₹1566572.00 की राशि दुकानदारो से बकाया किराए के रूप में वसूली हेतु शेष थी जिसका विवरण निम्न दिया गया हैः–

क्र0सं0	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान मांग	कुल योग	वर्ष के दौरान संग्रह	अन्तशेष
1	2010–11	1183656	195516	1379172	50220	1328952
2	2011–12	1328952	195516	1524468	123087	1401381
3	2012–13	1401381	195516	1596897	30325	1566572
			586548		**203632**	

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2010–11 से 2012–13 तक तीन वर्षों में कुल ₹1770204 (1183656+586548) की मांग के विरूद्ध केवल ₹203632/– की वसूली की गई जो कि 11.50**%** है। इस प्रकार वसूली की दर बहुत ही निम्न है जोकि आपत्तिजनक है। अतः उक्त बकाया किराया राशि की वसूली हेतु नियमानुसार ठोस कदम उठाए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

11 दुकानों को किराए पर आबंटित न करने के कारण ₹332068.00 की वित्तीय हानिः–

नगर पंचायत चौपाल की तीन दुकानें रिक्त पड़ी थी जिन्हें अंकेक्षण तक किराए पर आबंटित नहीं किया गया था। फलस्वरूप नगर पंचायत चौपाल को माह 8/2013 तक ₹332068.00 की हानि का अनुमान है जिसका विवरण निम्न दिया गया है। अतः इस सम्बन्ध में तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए तथा रिक्त पड़ी दुकानों को खुली बोली द्वारा अतिशीध्र किराए पर आंबटित किया जाए ताकि नगर पंचायत को आय में वृद्धि हो सके। इसे विकास कार्य में प्रयोग की जा सके।

क्र0सं0	गत किराएदार का नाम सर्वश्री	किराया रजिस्टर पृ0सं0	दुकान के रिक्त रहने की अवधि	प्रति माह पुराने किराए के समान हानि	कुल अनुमानित हानि
1	रजनीश किमटा	109	2/2002 से 8/2013 (139 मास)	2200	305800
2	मदन लाल	160	4/2012 से 8/2013 (17 मास)	1100	18700
3	रोशन लाल	214	10/2012 से 8/2013 (11 मास)	688	7568
				कुल	**332068**

12 ₹25,200/–किराये की वसूली न करना :–

श्री रजनीश किमटा ने जनवरी 2002 में नगर पंचायत की दुकान खाली कर दी परन्तु उनसे किराये के ₹35200/–वसूल किए जाने शेष थे जिसमे से ₹10,000/– उनकी प्रतिभूति राशि जमा थी। अतः शेष राशि ₹25,200/–को दण्ड ब्याज सहित वसूल करके नगर पंचायत कोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त यह दुकान जनवरी 2002 से रिक्त पड़ी है, जिसके आबंटन के लिए नियमानुसार आवश्यक प्रक्रिया अपनाई जाए ताकि नगर पंचायत की आय में वृद्धि हो सके। कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

13 बिना अनुबन्ध (Agreement) किए दुकानों को किराए पर आंबटित करना:–

नगर पंचायत चौपाल द्वारा 35 दुकानें किराए पर आंबटित की गई थी। नियमानुसार इन दुकानों को खुली बोली उपरान्त नगर पंचायत तथा किराएदार के मध्य अनुबन्ध होना अपेक्षित था जिससे यह स्पष्ट हो सके कि दुकानें कितनी अवधि व कितने किराए पर आंबटित की गई है ताकि भविष्य में कोई कानूनी अड़चन न हो। नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस प्रकार का कोई भी अनुबन्ध नहीं किया गया है जो कि अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है। इसके अतिरिक्त इन दुकानों के किराए में वर्ष 2006 के पश्चात कोई बढ़ौतरी नहीं की गई है। परिणाम स्वरूप गत 6–7 वर्षों से दुकानों के

किराए में वृद्धि न होने के कारण नगर पंचायत की आय पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अतः पाई गई त्रुटियों बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए तथा दुकानदारों से शीध्र अपेक्षित अनुबन्ध करके किराया राशि में वृद्धि हेतु भी उचित कदम उठाए जाएं ताकि नगर पंचायत की आय में बढ़ौतरी हो सके। कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए।

14 ₹98922.00 की बिजली उपकर बकाया राशि वसूल न करना:–

म्युनिसिपल एक्ट, 1994 के नियम 66 (1) (viii) के अनुसार म्यूनिसिपल परिधि में कुल बिजली खपत पर एक पैसा प्रति यूनिट बिजली उपकर म्यूनिसिपल कमेटियों को प्राप्त होना अपेक्षित है। परन्तु अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2013 तक बिजली विभाग से ₹98922.00 की बिजली उपकर की बकाया राशि वसूली योग्य शेष थी जिसका विवरण निम्न दिया गया है:–

क्र0सं0	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान मांग	कुल	वर्ष के दौरान संग्रह	अन्तशेष
1	2010–11	64900	10024	74924	0	74924
2	2011–12	74924	11433	86357	0	86357
3	2012–13	86357	12565	98922	0	98922

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2012–13 तक बिजली उपकर की कोई भी राशि वसूल नहीं की गई थी जोकि अनियमित है। अतः उक्त राशि की वसूली हेतु मामला बिजली विभाग के साथ गम्भीरता से उठाया जाए। कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

15 (क) ₹664040.00 का वाहन की खरीद पर अपव्ययः–

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार हाईड्रालिक टिप्पर की खरीद पर माह 10/2011 में ₹664040.00 का व्यय किया गया था:–

क्र0सं0	वा0सं0/दिनांक	विवरण	राशि (₹)
1	5 (1) दिनांक 13.10.11	हाईड्रालिक टिप्पर का मूल्य	640000
		बैंक ड्राफ्ट चार्जिज	1920

2	5 (ii) दिनांक 13.10.11	हाईड्रालिक टिप्पर की बीमा राशि	19700
		डीजल पर व्यय	2100
		फिटनैस प्रमाण पत्र शुल्क	320
		कुल राशि	**664040**

निदेशक, शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या यू0एल0बी0–एच(एफ)–19/86–9530 दिनांक 31.8.09 द्वारा नगर पंचायत चौपाल को पंचायत परिधि में कूड़ा कर्कट इत्यादि उठाने के हेतु एक हाईड्रालिक टिप्पर की खरीद के लिए ₹5.50 लाख की राशि ड्राफ्ट संख्या 369461 दिनांक 7.7.2009 द्वारा स्वीकृत की गई थी शेष राशि नगर पंचायत द्वारा अपने स्त्रोत से वहन करनी थी। उपरोक्त विवरणानुसार माह अक्तूबर 2011 में टिप्पर की खरीद पर ₹664040/– का व्यय किया गया। नगर पंचायत के पास ड्राईवर न होने के कारण उक्त टिप्पर का उपयोग अभी तक नहीं किया जा सका। एच0पी0एफ0आर0 में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार वस्तुओं का क्रय तभी किया जाना चाहिए जब इसकी नितान्त आवश्यकता है। अतः ₹664040/– का अपव्यय किया गया। यह मामला पंचायत के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

(ख) उपरोक्त क्रय किये गये वाहन को आज दिन तक रजिस्टर नहीं करवाया है न ही वाहन नं0 प्राप्त किया है और रोड टैक्स भी जमा नहीं किया गया है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। वांन्छित कार्रवाई अब करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) उपरोक्त वाहन के बीमा का एक वर्ष के पश्चात माह अक्तूबर 2012 में नवीनीकरण किया जाना वांन्छित था लेकिन लेखा होने तक वाहन के बीमा का नवीनीकरण नही करवाया गया था। वाहन की बीमा अवधि समाप्त होने पर बीमा न करवाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये।

(घ) ₹5753.00 जमा न करनाः–

वाऊचर संख्या 5 (ii) दिनांक 13.10.2011 द्वारा ₹27873.00 चैक संख्या 476296 के माध्यम से सैल्फ चैक काटकर बैंक से निकासी की गई थी। इस राशि के विरूद्व निम्न विवरणानुसार ₹22120/– के वाउचर प्रस्तुत किये गये शेष ₹5753/– वापिस निधि में जमा नहीं किये गये थे। व्यय के पश्चात शेष राशि को जमा न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा ₹5753/– की व्यय सहित सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से वसूली करके पंचायत खाते में जमा करवाया जाए।

क्र0सं0	व्यय का विवरण	राशि ₹ में
1	क्रय किये गये हाईड्रालिक टिप्पर की बीमा राशि	19700
2	डीजल पर व्यय	2100
3	फिटनैस प्रमाण पत्र शुल्क	320
	कुल व्यय	**22120**

16 ₹116099.00 का श्री रजिन्द्र सिंह लिपिक को वेतन व भत्तों के रूप में अधिक भुगतानः—

श्री राजिन्द्र सिंह झारटा को लिपिक के पद पर सचिव नगर पंचायत चौपाल के कार्यालय आदेश संख्या सचिव—एन0पी0/98—710 दिनांक 25.11.1998 द्वारा 1.4.98 से ₹3120—5160 के वेतनमान पर नियुक्ति की गई थी। श्री राजिन्द्र सिंह झारटा का 1.1.2006 से संशोधित वेतनमानों ₹5910—20200+1950 ग्रेड पे में वेतन निर्धारित किया गया था लेकिन वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कार्यालय आदेशों का सेवा पुस्तिका में कोई विवरण नहीं था निजी नस्ति उपलब्ध नहीं करवायी गई। संशोधित वेतनमानों से सम्बन्धित जारी दिशा निर्देशों के अनुसार श्री रजिन्द्र सिंह झारटा लिपिक का वेतन 1.1.2006 से ₹5910—20200+1900 ग्रेड पे के वेतनमान में निर्धारित किया जाना था। सेवा पुस्तिका में दर्शाये गये निर्धारित वेतन वास्तव में आहरित वेतन व नियमानुसार जो वेतन निर्धारित किया जाना था में भिन्नता पाई गई जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	दिनांक/विवरण	1.1.2006 को असंशोधित मूल वेतन	1.1.2006 को नियमानुसार संशोधित मूल वेतन जो बनता था	1.1.2006 से सेवा पुस्तिका में दज/निर्धारित संशोधित मूल वेतन	1.1.2006 से वेतन बिलों के अनुसार वास्तव में आहरित मूल वेतन
1	1.1.2006	4020	9380 (7480+1900 जी0पी0)	9880 (7930+1950 जी0पी0)	9380 (7480+1900)
2	1.4.2006 (वार्षिक वेतन वृद्धि)	4140	9670 (7770+1900)	10180 (8230+1950)	9960

3	1.4.2006 (आठ वर्ष उपरान्त ए0सी0पी0एस0)	4260	10010 (8060+1900)	10180 (8540+1950)	9960
4	1.4.2007 (वार्षिक वेतन वृद्धि)	4400	10310 (8360+1950)	10490 (8860+1950)	10260
5	1.4.2008 (वार्षिक वेतन वृद्धि)	4550	10620 (8670+1950)	10810 (9190+1950)	10570
6	1.4.09 (वार्षिक वेतन वृद्धि)	4700	10940 (8990+1950)	11140 (9530+1950)	10890 (1.10.09 12350)
7	1.4.2010 (वार्षिक वेतन वृद्धि)	—	11270 (9320+1950)	11480 (9880+1950)	12720
8	1.4.2011 (वार्षिक वेतन वृद्धि)	—	11610 (9660+1950)	11830 (10240+1950)	13110
9	1.4.2012 (वार्षिक वेतन वृद्धि)	—	11960 (10010+1950)	12190 (10240+1950)	13110 1.8.12 13510 1.10.12 15210
10	1.4.2013 (वार्षिक वेतन वृद्धि)	—	12320 (10370+1950)	(सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि नहीं की गई थी)	15670

उपरोक्त विवरणानुसार सेवा पुस्तिका में दर्शाये गये वेतन से कम व ज्यादा वेतन, वेतन बिलों के अनुसार अनियमित रूप से आहरित किया गया तथा दिनांक 1.10.2009, 1.8. 2012 व 1.10.2012 को बिना किसी कार्यालय आदेश व बिना किसी औचित्य के वेतन बिलों में अधिक वेतन दर्शाकर वेतन आहरित किया गया। यह एक गम्भीर मामला है जो उच्चाधिकारियों के ध्यान में आगामी उचित कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

दिनांक 1.10.09 से 31.8.13 तक के वेतन व भत्तों के रूप में उक्त लिपिक को ₹116099.00 का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है। अधिक भुगतान की गई राशि की सम्बन्धित कर्मचारी से वसूली करके पंचायत खाते में जमा की जाये तथा श्री रजिन्द्र सिंह लिपिक का 1.1.2006 से संशोधित वेतनमानों में वेतन निर्धारित करके भविष्य में भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

17 <u>पैन्शन व ग्रेच्युटी अंशदान तथा अंशदायी भविष्य निधि राशियों को एक ही बैंक खाते में जमा रखने बारेः–</u>

श्री रजिन्दर सिंह झारटा, लिपिक के पैन्शन व ग्रेच्युटी अंशदान तथा अंशदायी भविष्य निधि राशि को एक ही बैंक बचत खाते में जमा रखा गया था। वित्तायुक्त एवं सचिव (यू0डी0) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एल0एस0जी–बी–1/79–III दिनांक 25.4.2000 के पैरा 3 (3) (4) के अनुसार कमेटी निधि से वेतनमान के उच्चतम पर पैन्शन अंशदान 12**%** तथा ग्रेच्युटी अंशदान 5**%** प्रतिमाह को राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/राज्य सहकारी बैंक मे ंजमा करवाया जाना अपेक्षित है तथा कुल एकत्रित राशि को सरकारी प्रतिभूतियों, बांण्डस इत्यादि में निवेशित करके अधिकतम ब्याज अर्जित किया जाना अपेक्षित था परन्तु उक्त कर्मचारी के पैन्शन व ग्रच्युटी अंशदान को उसके अंशदायी भविष्य निधि के यूको बैंक बचत खाता संख्या 04110110004715 में जमा करवाया जा रहा था। इस प्रकार उक्त खाते में दिनांक 31.3.2013 तक कुल ₹254619.00 जमा थे। इसके अतिरिक्त इस राशि पर बचत खाते का ब्याज अर्जित किया जा रहा था। परिणामस्वरूप उक्त अधिसूचना अनुसार जमा राशि को निवेशित न करने के कारण अतिरिक्त ब्याज की हानि हो रही है। अतः उक्त कर्मचारी की पैन्शन व ग्रेच्युटी अंशदान तथा अंशदायी भविष्य निधि राशियों को ब्याज सहित अलग–अलग बैंक बचत खातों में जमा रखा जाए तथा रोकड़ वहियों का निर्माण भी किया जाये व इन राशियों को सावधि जमा में नियमानुसार निवेशित करके अधिकतम ब्याज अर्जित किया जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

18 <u>₹79417.00 का गलत गणना के कारण अधिक भुगतानः–</u>

वाऊचर संख्या शून्य दिनांक 11.10.2012 द्वारा ₹388917.00 का भुगतान मै0 न्यू लक्ष्मी सैनेटरी एण्ड हार्डवेयर स्टोर पिंजौर को बिल संख्या 10985 दिनांक 11.10.12 द्वारा क्रय की गई सामग्री के लिए किया गया था। बिल संख्या 10984 दिनांक 11.10.2012 द्वारा निम्न विवरणानुसार सामग्री क्रय की गई थी।

क्र0सं0	सामग्री का विवरण	मात्रा	दर (₹) में	राशि (₹) में
1	टायल 24''X24''	90 बाक्स	1000 प्रति बाक्स	90000
2	कजारिया टायल	115 बाक्स	240 प्रति बाक्स	27600

	8"X12"			
3	फ्लोरिंग टायल 12"X12"	30 बाक्स	260 प्रति बाक्स	78000
4	सीमेन्ट टायल 10"X10"	2100 नं0	18 प्रति	37800
5	सपैसियो टायल 12"X18"	30 बाक्स	400 प्रति बाक्स	12000
6	मारवल	23 वर्ग फुट	30 प्रति वर्ग फुट	6900
				314400
		वैट / टैक्स 13.13%		41280.72
			कुल राशि	**355680.72**

उपरोक्त विवरणानुसार कम संख्या 3 पर दर्शाई गई मद फ्लोरिंग टायल 12"X12" साईज के 30 बॉक्स का भुगतान ₹260 प्रति बॉक्स की दर से ₹7800 बनता था जबकि बिल के अनुसार गणना के गलती के कारण ₹78000 का भुगतान किया गया था। इसके अतिरिक्त ₹9217.00 (₹70200X13.13 प्रतिशत वैट) के रूप में कुल ₹79417.'00 का अधिक भुगतान किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि भुगतान से पूर्व कार्यालय में किसी भी स्तर पर बिलों की जांच नहीं की जा रही है जो अपने आप में ही एक गम्भीर अनियमितता है जिसके बारे स्थिति स्पष्ट की जाये। अतः ₹79417/— की वसूली अविलम्ब उचित स्त्रोत से करके पंचायत खाते में जमा करवाया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में इस तरह की पुनरवृति न हो इस बारे में समुचित व्यवस्था की जाए।

19 ₹439810/— के उपयोगिता प्रमाण पत्र व भुगतान रसीद प्राप्त न करनाः—

उपरोक्त वाऊचर 3 दिनांक 19.9.2012 के तहत ₹439810.00 का भुगतान वरिष्ठ अधिशाषी अभियन्ता हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लिमिटेड को चैक संख्या 979292 दिनांक 19.9.2012 द्वारा किया गया था। यह भुगतान डिपोजिट वर्क के अन्तर्गत 25 नं0 स्ट्रीट लाईट प्वाईंट विभिन्न बोर्डों में लगाने हेतु किया गया था। उपरोक्त भुगतान की प्राप्ति के सम्बन्ध में रसीद अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी न ही उपरोक्त के उपयोग के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था। अतः भुगतान प्राप्ति के सम्बन्ध रसीद व उपयोग की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

20 ₹3397/– का अधिक भुगतानः–

कार्य का नामः– वार्ड नं0 6 में प्राईमरी पाठशाला से वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तक रोगी वाहन योग्य रोड़ का निर्माण कार्य

संविदाकारः– श्री सीता राम शर्मा

अनुबन्ध संख्याः– 29 दिनांक 29.11.2010

अनुबन्धित राशिः– ₹159914.00

वाऊचर संख्याः– 7 दिनांक 4.2.2011 ₹135508.00

उपरोक्त कार्य के प्रथम व अन्तिम बिल द्वारा किये गये उपरोक्त राशि के भुगतान की जांच करने पर पाया गया कि बिल की मद संख्या 2 द्वारा वर्णित कार्य स्टौन मैशनरी इन सीमेन्ट मोर्टर इत्यादि से सम्बन्धित कार्य की मात्रा 42.23 घन मी0 का भुगतान मापन पुस्तिका संख्या 4 पृष्ठ 61 पर ₹2280/– प्रति घन मी0 की दर से किया गया था। उपरोक्त कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियॉ मापन पुस्तिका संख्या 4 पृष्ठ 60 पर की गई थी का अवलोकन करने पर पाया गया कि गणना में गलती के कारण कार्य मात्रा 40.74 घन मी0 के स्थान पर 42.23 घन मी0 दर्शाई गई थी जिसके फलस्वरूप 1.49 घन मी0 (42.23 घन मी0–40.74 घन मी0) कार्य मात्रा के लिए ₹2280 प्रति घन मी0 की दर से ₹3397.00 (1.49 घन मी0 x₹2280)का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाये।

21 आयकर एवं सेल टैक्स की संविदाकारों से वसूल की गई राशियों को नियमित रूप से सम्बन्धित विभागों को न जमा करने बारेः–

संविदाकारों के भुगतान बिलों से आयकर व सेल टैक्स इत्यादि की कटौतियॉ की गई लेकिन राशियों को सम्बन्धित विभाग में नियमित रूप से जमा नहीं किया गया था जिनका विवरण निम्न प्रकार से है। आयकर व सैल टैक्स की संविदाकारों के बिलों से कटौती की गई राशियों को समय पर सम्बन्धित विभागों में जमा न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इन राशियों को अभिलम्ब जमा करवाना सुनिश्चित करें।

भुगतान की तिथि	संविदाकार का नाम	कार्य का नाम	सैल टैक्स (₹)	आयकर (₹)	ई0 सैंस
20.6.11	श्री नाजर लाल	लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह से बस स्टैण्ड तक रास्ते का निर्माण करना	2659	2659	399
20.6.11	श्री तुलसी राम	सभी बोर्डों में डस्ट बिन का निर्माण कार्य	866	866	130
14.'7.11	श्री प्रताप नेगी	वार्ड नं0 5 में ब्रेस्ट वाल का निर्माण कार्य	2633	2633	395
		जोड़	**6158**	**6158**	**924**

22 ₹300.00 की जन्म/मृत्यु पंजीकरण शुल्क की वसूली न करनाः—

अंकेक्षण के दौरान जन्म/मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में जन्म/मृत्यु पंजीकरण शुल्क की वसूली नहीं की गई थी जिसका विवरण निम्न दिया गया है। अतः ₹300.00 की जन्म/मृत्यु पंजीकरण शुल्क की वसूली न करना अनियमित है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। साथ ही अपेक्षित शुल्क की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(क)

क्र0सं0	पंजीकरण की तिथि	जन्में शिशु का नाम	पता	पंजीकरण शुल्क जिसकी वसूली नहीं की गई
1	10.5.2010	प्रतियूष	वार्ड–6, नगर पंचायत चौपाल	10
2	6.7.2010	सूयांर्श	—यथोपरि—	10
3	18.10.2010	सूजल	गांव दकौवना, डा0 सरैन, तहसील चौपाल	10
4	10.11.2010	अभिनव	वार्ड–2 नगर पंचायत चौपाल	10
5	10.11.2010	अवंतिका	—यथोपरि—	10
6	27.6.2011	रिहान	—यथोपरि—	10

7	20.7.2011	शुभम	वार्ड–3, नगर पंचायत चौपाल	10
8	10.8.2011	अर्णव	–यथोपरि–	10
9	20.8.2011	काका	वार्ड–6, नगर पंचायत चौपाल	10
10	13.9.2011	जतिन शर्मा	वार्ड–2, नगर पंचायत चौपाल	10
11	12.5.2012	तनुज रान्ता	वार्ड–1, नगर पंचायत चौपाल	10
12	15.2.2012	सुनाक्षी	गांव धनेवरी डा0 नकौडा तहसील चौपाल	10
13	21.3.2012	वंश	गांव रांठा (हिड़ग) डा0 देवत, तहसील चौपाल	10
14	28.3.2012	गुड़िया	गांव दोची, डा0 नकौड़ा, तहसील चौपाल	10
15	1.5.2012	हार्दिक	गांव जगराह, डा0 बम्टा तहसील चौपाल	10
16	24.8.2012	यश	वार्ड–7, नगर पंचायत, चौपाल	10
17	12.11.2012	आभा	गांव क्यारी, डा0 सरांह, तहसील चौपाल	10
18	16.4.2013	ईशीका	वार्ड–2, नगर पंचायत चौपाल	10

(ख)

क्र0 सं0	**पंजीकरण की तिथि**	**मृतक का नाम**	**पता**	**पंजीकरण शुल्क जिसकी वसूली नहीं की गई**
1	5.4.21010	जयपाल	वार्ड–3, नगर पंचायत, चौपाल	10
2	24.4.2010	दासी देवी	वार्ड–7, नगर पंचायत, चौपाल	10
3	1.5.2010	अनूप कपिल	वार्ड–1, नगर पंचायत, चौपाल	10
4	17.6.2010	जागेश्वर प्रसाद	–यथोपरि–	10
5	17.6.2010	रामशरन अजता	गांव दुहिना (देवत पंचायत) तहसील चौपाल	10
6	27.7.2010	श्याम सिंह	गांव क्यारी डा0 सरैन तहसील चौपाल	10
7	14.9.2010	धनी राम	वार्ड–4, नगर पंचायत, चौपाल	10
8	28.9.2010	यशपाल शर्मा	गांव व डा0 धमान्दरी, तहसील	10

			ठियोग, जिला शिमला	
9	27.12.2010	अवनिन्द्र नाथ आर्य	वार्ड–3, नगर पंचायत, चौपाल	10
10	13.7.2011	जिन्दी देवी	गांव खुडोग, डा0 थगांड़, तहसील चौपाल	10
11	31.10.2011	उत्तमु देवी	वार्ड–5 नगर पंचायत चौपाल	10
12	22.10.2011	रोहित नेगी	गांव वारंग डा0 व तहसील कल्पा, जिला किन्नौर	10
			कुल	**300**

23 ₹900.00 बिजली/पानी कनैक्शन अनापत्ति प्रमाण का शुल्क वसूल न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न प्रकरणों में नगर पंचायत द्वारा विभिन्न व्यक्तियों/विभागों को बिजली व पानी के कनैक्शन लगवाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए गए परन्तु अनापत्ति प्रमाण पत्रों को जारी करने पर शुल्क के रूप में ₹900/– की वसूली नहीं की गई। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा शुल्क की वसूली सॅम्बन्धित व्यक्तियों/विभागों से करके पंचायत खाते में जमा करवाई जाए।

क्र0सं0	**अभ्यर्थी का नाम व पता सर्व श्री**	**अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार**	**जारी करने की तिथि**	**शुल्क जो लिया जाना था**	**शुल्क जो लिया गया**	**कम वसूली**
1	कुलदीप कुमार, वार्ड–4 नगर पंचायत चौपाल	बिजली व पानी के कनैक्शन	8.4.2010	200	0	200
2	गुमान सिंह ओक्टा, वार्ड–1 नगर पंचायत चौपाल	पानी का कनैक्शन	29.4.2010	100	0	100
3	गोपाल चौहान, वार्ड–6 नगर पंचायत चौपाल	बिजली का कनैक्शन	29.4.2010	100	0	100
4	सत्या देवी, वार्ड–1	बिजली का	23.11.2010	100	0	100

	नगर पंचायत चौपाल	कनैक्शन				
5	प्रेम चन्द , वार्ड –1 नगर पंचायत चौपाल	बिजली व पानी के कनैक्शन	24.5.2012	200	0	200
6	प्रभारी, उप रोजगार कार्यालय, चौपाल	पानी का कनैक्शन	21.6.2012	100	0	100
7	निक्कम सिंह, वार्ड–3 नगर पंचायत चौपाल	बिजली का कनैक्शन	9.10.2012	100	0	100
					कुल	**900**

24 एकत्रित की गई राशियों को विलम्ब से जमा करवानाः–

निम्नलिखित एकत्रित की गई राशियों को विलम्ब से सरकारी कोष/बैंक में जमा किया गया था जिससे नगर पंचायत को ब्याज की हानि हुई। नियमानुसार सरकारी राशि को उसी दिन अथवा दूसरे कार्य दिवस में जमा किया जाना अपेक्षित था। अतः विलम्ब से जमा करवाई गई राशियों के दृष्टिगत ब्याज की हानि की भरपाई सम्बन्धित कर्मचारी से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में प्राप्त की गई राशि को समयवध जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	**राशि प्राप्त करने की अवधि**	**रसीद सं0**	**कुल एकत्रित राशि**	**बैंक में जमा करने की तिथि**
1	30.4.10 से 10.5.10	1889 से 1900	6300	12.5.10
2	29.5.10 से 5.6.10	1901 से 1914	19010	9.6.10
3	5.6.10 से 2.7.10	1915 से 1924	19070	8.7.10
4	8.7.10 से 29.7.10	1925 से 1936	10610	29.7.10
5	4.8.10 से 7.9.10	1941 से 1962	17653	9.9.10
6	7.9.10 से 7.9.10	1963 से 2000	26694	4.10.10
7	19.10.10 से 30.10.10	2014 से 2024	11151	1.11.10
8	21.12.10 से 24.1.11	2126 से 2131	2992	14.3.11
9	1.8.11 से 2.9.11	2222 से 2233	10910	3.9.11
10	13.9.11 से 3.10.11	2244 से 2254	4830	4.10.11
11	12.12.11 से 3.1.12	2276 से 2290	14855	12.1.12

12	9.4.12 से 11.5.12	2332 से 2363	7840	21.5.12
13	24.11.12 से 18.12.12	2475 से 2484	2880	24.12.12
14	1.1.13 से 19.2.13	2489 से 2500	3660	22.2.13

25 भण्डार मदों का प्रत्यक्ष सत्यापनः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि भण्डार मदों का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। नियमानुसार भण्डार मदों का वर्ष में एक बार प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना आवश्यक है। अतः भण्डार मदों का नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्यक्ष सत्यापन न किए जाने बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

26 ₹400.00 जमा न करनाः—

फार्म जी—8 रसीद संख्या 2219, दिनांक 25.7.2011 द्वारा ₹400.00 की राशि प्राप्त की गई जिसकी प्रविष्टि रोकड़ वही में की गई थी परन्तु उक्त राशि को बैंक खाते में जमा नहीं किया गया था। अतः इस राशि उचित स्त्रोत से वसूल करके तुरन्त पंचायत बैकं खाते में जमा किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

27 अभिलेख का रख—रखाव न करनाः—

नगर पंचायत चौपाल द्वारा निम्नलिखित आवश्यक अभिलेख का रख—रखाव नहीं किया गया था। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण द्वारा पूर्व में भी आपत्ति उठाई गई थी। अंकेक्षण द्वारा बार—बार अनुरोध करने पर भी संस्था द्वारा निम्न आवश्यक अभिलेखों को प्रारम्भ करने हेतु कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था जो एक असन्तोषजनक स्थिति है। अतः अपेक्षित अभिलेख शीध्र तैयार करने सुनिश्चित किए जाएं व इसकी अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

(1) वर्क रजिस्टर 4/2008 से तैयार नहीं किया गया।
(2) कन्ट्रैक्टर लैजर
(3) चल व अचल सम्पत्ति रजिस्टर
(4) उपयोग तथा अपयोग रजिस्टर
(5) स्टेशनरी स्टॉक रजिस्टर
(6) डाक टिकट स्टॉक रजिस्टर
(7) सूट रजिस्टर
(8) फार्म जी—8 स्टॉक रजिस्टर
(9) सिक्योरिटी डिपोजिट रजिस्टर
(10) वेतन रजिस्टर

28 <u>विविध</u> :—

(क) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि भुगतान वाऊचरों का रख—रखाव सन्तोषजनक नहीं था। भुगतान वाऊचरों को नस्ति में क्रमांक संख्या में न रख कर उन्हें खुले/लूज रखा गया था, यह अनियमित है। अतः प्रत्येंक भुगतान वाऊचरों को क्रमानुसार रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) रेन बसेरा भवन का उपयोग नगर पंचायत के कार्यालय के लिए किया जा रहा था, जब कि रैन बसेरा का निर्माण असहाय व निम्न श्रेणी के लोगों के उत्थान के लिए किया गया था। अतः रैन बसेरा का उपयोग जिस उद्देश्य हेतु बनाया गया था न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा रैन बसेरे का प्रयोग उसी उद्देश्य हेतु किया जाए जिस उद्देश्य हेतु इस सरकार द्वारा निर्मित उद्देश्य हेतु इस सरकार द्वारा निर्मित किया गया है।

(ग) नगर पंचायत के कर्मचारियों के सेवा अभिलेख (Service records) का रख रखाव नियमानुसार उचित प्रकार से नहीं किया जा रहा है। सेवा अभिलेख में समस्त प्रविष्टियॉ सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं की जाती यह अनियमित है। सभी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका में नियमानुसार सभी आवश्यक प्रविष्टियां करके सक्षम अधिकारी से समय समय पर सत्यापित करवाई जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाये।

29 <u>लघु आपत्ति विवरणिका</u> :— लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान स्थल पर करवा दिया गया, लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

30 <u>निष्कर्ष</u> :— लेखों के रख रखाव में उचित सुधार की आवश्यकता है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में अनिर्णीत पड़े ऑडिट पैरों के निपटारे हेतु विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः— 15(V) 81/85 फिन (एल0ए0) खण्ड—186—87 दिनांक, 04.01.2014 शिमला—171009.
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :—

1. निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला—2.

पंजीकृत :— 2. सचिव, नगर पंचायत चौपाल, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजें।

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

परिशिष्ट "क" पैरा संख्या 1 (ग) के सन्दर्भ में

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1985 से 3/1990

(1)	पैरा 6	अनिर्णीत
(2)	पैरा 7(1)	अनिर्णीत
(3)	पैरा 8(i)	अनिर्णीत
(4)	पैरा 9(i)(ii)(iii)	अनिर्णीत
(5)	पैरा 10	अनिर्णीत
(6)	पैरा 13	अनिर्णीत
(7)	पैरा 14	अनिर्णीत
(8)	पैरा 15(i)(ii)(iii)(iv)(v)	अनिर्णीत
(9)	पैरा 15(बी)(सी)(डी)(ई)	अनिर्णीत
(10)	पैरा 16	अनिर्णीत
(11)	पैरा 17(i)(ii)(iii)(iv)(vi)(vii)(viii)	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1991 से 03/1994

(1)	पैरा 6 (क)	निर्णीत एवं पुनः निरूपित	
(2)	पैरा 6 (ख)	निर्णीत	
(3)	पैरा 7 (ii)	अनिर्णीत	
(4)	पैरा 8 (ख)	अनिर्णीत	
(5)	पैरा 8 (ग)	निर्णीत	(वांन्छित राशि की जमा की पुष्टि कर ली गई)
(6)	पैरा 9	निर्णीत	(समीक्षा उपरान्त निर्णीत)
(7)	पैरा 10	निर्णीत	(अनुपालना की पुष्टि की गई)
(8)	पैरा 11 (1)(2)(3)(4)(7) (10) (11) (12)	अनिर्णीत	
(9)	पैरा 12(1)(2)(3)(4)	निर्णीत	(अनुपालना की पुष्टि की गई)
(10)	पैरा 12(4)	निर्णीत एवं पुनः निरूपित	

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1994 से 3/2004

(1)	पैरा 5 (क)(ख)	अनिर्णीत	
(2)	पैरा 5 (ग)	निर्णीत	(अनुपालना की पुष्टि की गई)
(3)	पैरा 6 (क)	निर्णीत	(अनुपालना की पुष्टि की गई)
(4)	पैरा 6 (ख)	अनिर्णीत	
(5)	पैरा 6 (ग)	निर्णीत	(अनुपालना की पुष्टि की गई)
(6)	पैरा 6 (ङ)	निर्णीत	(अनुपालना की पुष्टि की गई)
(7)	पैरा 6 (च)	निर्णीत	(अनुपालना की पुष्टि की गई)
(8)	पैरा 7 (क, ख)	निर्णीत एवं पुनः निरूपित	
(9)	पैरा 7 (ग)	अनिर्णीत	
(10)	पैरा 7 (घ, ङ)	निर्णीत	(अनुपालना की पुष्टि की गई)
(11)	पैरा 7 (च, ज, झ)	अनिर्णीत	
(12)	पैरा 7 (प)	निर्णीत एवं पुनः निरूपित	
(13)	पैरा 8 (क, ख, ग, ङ, च, छ)	अनिर्णीत	
(14)	पैरा 8 (घ)	निर्णीत	(₹174 रसीद सं0 2986 दिनांक 4.9.13 को जमा की गई)
(15)	पैरा 8 (ज)	निर्णीत	(अनुपालना की पुष्टि की गई)
(16)	पैरा 8 (ऋ, प, फ, ब, भ, म, त)	अनिर्णीत	
(17)	पैरा 9	अनिर्णीत	
(18)	पैरा 10(1)(2)(3)	अनिर्णीत	
(19)	पैरा 10(क)(1)(2)(3)	अनिर्णीत	
(20)	पैरा 10 (ख) (ग) (घ) (ङ) (च) (छ) (ज) (झ) (ञ) (प) (फ)	अनिर्णीत	
(21)	पैरा 11	अनिर्णीत	
(22)	पैरा 12	निर्णीत एवं पुनः निरूपित	
(23)	पैरा 13	अनिर्णीत	

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2004 से 3/2008

(1)	पैरा 2	अनिर्णीत	
(2)	पैरा 4(1)	निर्णीत	(अनुपालना की पुष्टि की गई)
(3)	पैरा 5(i)(ii)(iii)(iv)(vi)(vii)(viii)(ix)	अनिर्णीत	
(4)	पैरा 5(v)	निर्णीत	(अनुबन्ध दिखाये गये)
(5)	पैरा 6(i)(ii)(iii)	अनिर्णीत	

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2008 से 3/2010

1	पैरा 3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क ₹17400 के जमा की पुष्टि कर ली गई)
2	पैरा 4 (क, ख)	अनिर्णीत	
3	पैरा 5	निर्णीत	
4	पैरा 6	निर्णीत एवं पुनः निरूपित	
5	पैरा 7	निर्णीत	
6	पैरा 8	अनिर्णीत	
7	पैरा 9	अनिर्णीत	
8	पैरा 10	अनिर्णीत	
9	पैरा 11	निर्णीत	
10	पैरा 12	निर्णीत एवं पुनः निरूपित	
11	पैरा 13	निर्णीत	(₹70 की जमा की पुष्टि कर ली गई)
12	पैरा 14	निर्णीत एवं पुनः निरूपित	
13	पैरा 15	अनिर्णीत	
14	पैरा 16	अनिर्णीत	
15	पैरा 17 (क)	अनिर्णीत	
16	पैरा 17 (ख)	निर्णीत	(सत्यापना की जांच कर ली गई)
17	पैरा 18	निर्णीत	(अनुपालना की जांच की गई)
18	पैरा 19	अनिर्णीत	
19	पैरा 20	अनिर्णीत	

20	पैरा 21	निर्णीत एवं पुनः निरूपित
21	पैरा 22	अनिर्णीत
22	पैरा 23 (क, ख, ग)	निर्णीत एवं पुनः निरूपित
23	पैरा 24	निर्णीत एवं पुनः निरूपित
24	पैरा 25	निर्णीत
25	पैरा 26	निर्णीत
26	पैरा 27	निर्णीत
27	पैरा 28	निर्णीत